

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक : प.3(4)आ.कृ./लेखा/बजट (प्रतिबद्ध)/2017-18/

दिनांक :

परिपत्र

वित्तीय वर्ष 2017-18 में ऐसे सभी अधिनस्थ कार्यालय, जिन्होंने राज्य निधि (प्रतिबद्ध) मद में बकाया बजट आवंटन की मांग की थी, उन्हें उपलब्ध बजट को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर बजट आवंटन कर दिया गया है।

IFMS पर उपलब्ध अद्यतन बजट मदवार व्यय का अवलोकन करने पर पाया गया है कि कई अधिनस्थ कार्यालयों द्वारा आवंटित बजट का उपयोग नहीं किया गया है, जबकि कई कार्यालयों द्वारा बजट आवंटन की मांग की जा रही है।

अतः सभी अधिनस्थ कार्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि किये गये बजट आवंटन का उपयोग सुनिश्चित करावें, जिन कार्यालयों द्वारा दिनांक 15.12.2017 तक उक्त मदों में किये गये बजट आवंटन का उपयोग नहीं किया जावेगा, उस बजट आवंटन को उनके कार्यालयों हेतु बजट की आवश्यकता नहीं मानते हुए प्रत्याहारित कर लिया जावेगा एवं अन्य कार्यालयों को उनकी मांग अनुसार आवंटन कर दिया जावेगा।

हो
(ऋतु गुप्ता)
वित्तीय सलाहकार

क्रमांक : प.3(4)आ.कृ./लेखा/बजट (प्रतिबद्ध)/2017-18/ 6614-6774 दिनांक : 04/12/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्राचार्य, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान दुर्गापुरा/उप.नि.कृ.(प्रशिक्षण)टोंक।
2. संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन), मुख्यालय जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक कृषि (पौध व्याधि/वनस्पति/गुण नियंत्रण), दुर्गापुरा जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक कृषि (खण्ड)
5. समस्त उप निदेशक कृषि (गुण नियंत्रण)/(मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला)
6. उप निदेशक कृषि (खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र) कोटा।
7. समस्त सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)
8. समस्त उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद
9. समस्त कृषि अनुसंधान अधिकारी
10. उपनिदेशक कृषि (शष्य) मलिकपुर/चित्तोडगढ़/छत्रपुरा/बूंदी/करणपुर/तबीजी/रामपुरा जोधपुर/ हनुमानगढ़ /लूणकरणसर/उप निदेशक कृषि (रसायन), जोधपुर।
11. लेखाधिकारी (बजट) मुख्यालय जयपुर।
12. सहायक लेखाधिकारी (अंक मिलान) मुख्यालय जयपुर।
13. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (ए.सी.पी.) को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को कृषि विभाग की वेब साइट पर उपलब्ध करवावें।

हो
(ऋतु गुप्ता)
वित्तीय सलाहकार